

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
80 भरतपुरी योजना गोंडा

पत्रांक:- / / दिनांक.....

सेवा में,

श्री/श्रीमती
पुत्र/पुत्री/पत्नी
निवासी

विषय:- परिषद की गोंडा फैजाबाद मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गोंडा में विभिन्न प्रकार के आवासीय भूखण्ड संख्या के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आपके पंजीकरण संख्या के विरुद्ध दिनांक को लाटरी द्वारा परिषद की गोंडा फैजाबाद मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गोंडा में विभिन्न प्रकार के आवासीय भूखण्ड संख्या किश्त/नकद क्रय पद्धति पर परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन आवंटित किया गया, अतः उक्त भवन का प्रदेशन पत्र आपके पक्ष में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जाता है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

1. भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्ग मी०
- (क). भूखण्ड का मूल्य (रु०..... प्रति वर्ग मी०) रु०
- (ख). भवन निर्माण लागत रु०
- (ग). भूखण्ड सहित भवन का कुल मूल्य (अनुमानित) रु०
- (घ). कार्नर हेतु अतिरिक्त मूल्य रु०
- योग :-
2. जमा पंजीकरण धनराशि रु०
- (क). अपेक्षित शेष पंजीकरण धनराशि रु०
3. नकद क्रय पद्धति पर भुगतान योग्य धनराशि (1-2) रु०
4. प्रथम किश्त के साथ एकमुश्त 40% देय धनराशि रु०
5. रु० 100.00 के गुणांक में रु०
6. अवशेष धराशि पर @11.50% रु०
7. दिनांक तक जमा योग्य कुल धनराशि रु०
(4 + 5 + 6)
- विविध शल्क :-
- (क). विलेख निष्पादन व्यय रु०
- (ख). साइट प्लान शुल्क रु०
- (ग). विज्ञापन व्यय 0.25% रु०
8. दिनांक / / तक जमा योग्य कुल धनराशि रु०
9. किसी भी देय धनराशि का विलम्ब से भुगतान करने पर 13.5% की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा।
10. उपरोक्त विवरण के बिन्दु सं० 07 में अंकित धनराशि में परिषद के वसूली खाता सं० तथा बिन्दु सं० 8 में अंकित धनराशि विविध खाता सं० में दिनांक तक जमा करनी होगी। दिनांक के बाद जमा धनराशि पर ब्याज की गणना दिनांक से की जायेगी। धनराशि जमा न करने पर आवंटी को 15-15 दिन पर 02 नोटिस देने के बाद भी यदि धनराशि जमा नहीं होती है, तो परिषद द्वारा नियमानुसार आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
11. जी०एस०टी० की देयता होने पर जी०एस०टी० का भुगतान अतिरिक्त देय होगा।
12. भवन के मूल्य का पूर्ण भुगतान दिनांक तक करने पर 5% की छूट देय होगी।
13. जल/सीवर संयोजन तथा नियमित जल शुल्क के सम्बन्ध में जो धनराशि परिषद द्वारा निर्धारित की जायेगी। उसका भुक्तान करना होगा।

क्रमशः.....2/-

14. विलेख/अनुबन्ध निष्पादन हेतु स्टैम्प शुल्क नगर निगम/सरकार या अन्य किसी अधिकारी द्वारा लगाये गये समस्त करों का वहन प्रदेशन ग्रहीता को करना होगा।
15. प्रदेशन पत्र ग्रहीता को प्रदेशन पत्र में उल्लिखित धनराशि/औपचारिकताओं की पूर्ति निर्धारित अवधि तक पूर्ण करनी होगी। भवन का निरस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अथवा अदेयता पर प्रदेशन निरस्त होता है तो पंजीकरण धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि जब्त करते हुए नियमानुसार निरस्त किया जायेगा।
16. भवन का कब्जा प्राप्त करने हेतु देय धनराशि तथा निम्नलिखित प्रपत्र दिनांक तक इस कार्यालय में अवश्य जमा कर दें, अन्यथा रू0 50/- प्रति दिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

नोट :-

6. आवंटी द्वारा स्वयं की दो प्रमाणित फोटो व हस्ताक्षर सहित हो किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित हो तथा प्रमाणित कर्ता द्वारा प्रदेशन ग्रहीता का नाम पिता/पति का नाम व पता प्रमाणित कर्ता द्वारा स्वयं की हस्तलिपि में हो तथा चार फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज बिना प्रमाणित।
7. बैंक में जमा धनराशि की चालान की प्रति।
8. रू0 10/- के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नगर मजिस्ट्रेट/नोटरी से प्रमाणित शपथ-पत्र।
9. रू0 100/- का नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर।
10. अनुबन्ध/विलेख निष्पादन हेतु शासनादेशानुसार स्टाम्प पेपर देय होगा जो शासन द्वारा समय-समय पर परिवर्तनीय है, स्टैम्प पेपर दिनांक तक कार्यालय में जमा करना होगा।

भवदीय

सम्पत्ति प्रबन्धक

शपथ पत्र का प्रारूप

समक्ष सम्पत्ति प्रबन्धक

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अयोध्या

मैं (नाम) पुत्र/पुत्री उम्र निवासी निम्न प्रकार शपथ पूर्वक कहता हूँ।

1. मेरे/मेरी पत्नी/पति अथवा अवयस्क बच्चों के नाम कोई फ्लैट/भूखण्ड/भवन पूर्णतः या अंशतः सुल्तानपुर नगर में नहीं है और उ0प्र0 के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है।
2. मेरी/मेरे पत्नी/पति अथवा अवयस्क बच्चों के नाम नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम-1976 में निर्धारित सम्पत्ति से अधिक नहीं है और न होगी।
3. मैं तथा मेरी/मेरे पत्नी/पति एवं अवयस्क बच्चों द्वारा उ0प्र0 नगरीय सीमा में केवल एक फ्लैट/भवन/भूखण्ड के प्रदेशन हेतु आवेदन करता/करती है।
4. मेरी समस्त श्रोतों से रजिस्ट्रेशन से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय जिसमें मेरे/मेरी पत्नी/पति या अन्य आश्रित सम्बन्धी एवं अवयस्क बच्चे भी सम्मिलित हैं, कुल रू0 से अधिक नहीं थी। मैं (नाम) घोषण करता/करती हूँ कि उपर्युक्त अनुच्छेद-1 से 4 तक वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में सही है और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

स्थान :

दिनांक :

प्रमाणित
मजिस्ट्रेट/सब जज/नोटरी

शपथी

दिनांक :